

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सी)

..... बनाम श्रीतोष देवी वर्मा
 अगुताराम
 किस्म मुकदमा दावा नं. 899 सन 2017

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर अहक हुकम में |
|---|--|-----------------------------|
| 04.09.20 | इकजाई तारीख पेशी नियत होने से पनावली आज पेश हुयी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक नं. ऊ. 2020/841 दि. 06-05-2020 विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं जो शामिल पनावली किये गये। यक्तव्य वकुलात उभय पक्ष उपा. पनावली वास्ते बहस विभाजन प्रस्ताव दि. 08-09-20 को पेश हो। | |
| 08-09-20 Noted. <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> 01/9/20 | <p>पनावली पेश हुयी। वकुलात उभय पक्ष उपा. तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी। वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण दोनों ने ही विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति एतराज पेशा नहीं किया तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद डिप्टी कले का निवेदन किया।</p> <p>बहस उभय पक्ष सुनने व पनावली तथा पनावली में उपलब्ध रेकार्ड, तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन काने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे</p> | |



कम

भगुलाराम v/s सतीश देवी वगै०
हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

दावा मु० न० ४९९ / २०१७

है कि पक्षकामान के मध्य वार्ड मीटिंग एण्ड
बाउण्ड के विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है
विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष के वकूलाय को
कोई ऐतराफ नहीं है। अतः मुताबिक विभाजन
प्रस्ताव दावा वादी अन्तिम रूप से डिड्री किया
जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन
प्रस्ताव अनुसार पृथक-पृथक का विज खातेदार
काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव
मय नक्शा डिड्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व
रेकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिड्री पूर्ण
हो। पन्नावली बाद फेंसल शुमार होकर नम्बर से
कम होकर दफ्तर दारकिल हो।

निर्णय आज ०४-०९-२०२० को करे

इजलास सुनाया गया।

(R)

(बृजेश कुमार)

~~सहायक जज (सिविल)~~

~~(फा ०६०)~~

श्रीमधोपुर, सीकर